



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि. प्रा./ नि. 1-17/2019

1947

/पटना, दिनांक 23/11/2019

प्रेषक,

कुमार शांत रक्षित,
प्रतिनियुक्त पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0)-सह-जिला पदाधिकारी।
बिहार।

विषय : पैक्स निर्वाचन 2019 से संबंधित मतदान कर्मियों एवं मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पैक्स निर्वाचन 2019 के संचालन हेतु प्रकाशित "निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के अध्याय -23 के क्रमांक-3 (पृष्ठ-59) में मतदान कर्मियों (रिजर्व सहित) के लिए "गहन प्रशिक्षण" तथा "मतगणना अनुदेश" के अध्याय-2 (पृष्ठ-7) में मतगणना कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतगणना संबंधी प्रशिक्षण जिला प्रशासन द्वारा "पर्याप्त रूप से" दिलाने की व्यवस्था किये जाने का मार्गदर्शन अंकित है।

अतः अनुरोध है कि पैक्स निर्वाचन 2019 के सुगम संचालन हेतु मतदान कार्य से जुड़े सभी कर्मियों एवं मतगणना कार्य से जुड़े सभी कर्मियों (रिजर्व सहित) को उक्त मार्गदर्शन के आलोक में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। विदित है कि पैक्स निर्वाचन 2019 के निमित्त प्राधिकार के आवंटन आदेश संख्या-1878 दिनांक- 20.11.2019 द्वारा कुल 25 (पच्चीस) जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0) को यात्रा व्यय ईकाई में ₹ 5,03,12,000/- (पाँच करोड़ तीन लाख बारह हजार रुपये) एवं प्राधिकार के आवंटन आदेश संख्या- 1923 दिनांक- 22.11.2019 द्वारा कुल 13 (तेरह) जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0) को यात्रा व्यय ईकाई में ₹ 2,37,27,000/- (दो करोड़ सैतिस लाख सताईस हजार रुपये) का आवंटन CFMS के माध्यम से दिया जा चुका है, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या एवं मतदान कार्य के दिनों की संख्या के साथ-साथ यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का दर भी निर्धारित है। अतएव पूर्व में अवंटित राशि के अतिरिक्त यदि उक्त प्रशिक्षण के कारण और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो इसके लिए स्पष्ट अध्याचना शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

कुमार शांत रक्षित, 23/11/19
प्रतिनियुक्त पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1947

/पटना, दिनांक 23/11/2019

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/19
प्रतिनियुक्त पदाधिकारी।